FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त. सहायक कलक्टर SDO मुकाम बायतु

पोलाराम [illegible] बनाम मूलाराम [illegible]

स्म मुकदमा 88, 188 रा.का.अधि. नं. 15/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.02.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/02/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 4 को तर्क किया गया जिनसे कोई किसी प्रकार की इमदाद नहीं चाही गई है। प्रतिवादी संख्या-5 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या-6 चौक की तरफ से जारी रहन मुक्त प्रमाण-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-3 स्वयं PW-1- मोतीराम पुत्र मगाराम जाति-जाट निवासी-[illegible] तहसील-बायतु स्वतंत्र गवाह PW-2 खेमाराम पुत्र डेगाराम जाति-जाट निवासी [illegible] का तला [illegible] तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	मूलाराम मोतीराम [thumb impression] ल.नि. [illegible] खेमाराम [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested

PW-3- खेमाराम पुत्र श्री रामूराम जाति- सुथार निवासी- सांईयों का तला जूनाड़ा तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 DW-1- मुल्लाराम पुत्र किस्ताराम जाति- जाट निवासी- जूनाड़ा तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड प्रथम जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिससे उक्त भूमि पैतृक साबित होती है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
25.2.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 15/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. वालाराम पुत्र मगाराम
2. रावताराम पुत्र मगाराम
3. मोतीराम पुत्र मगाराम
4. देवु पुत्र मगाराम
5. मानाराम पुत्र मगाराम
6. राजूराम पुत्र पूनमाराम
7. कुम्भाराम पुत्र पूनमाराम
8. शेराराम पुत्र पूनमाराम
9. हीराराम पुत्र पूनमाराम
10. मानाराम पुत्र पेमाराम
11. देवाराम पुत्र पेमाराम
12. चून्नी पत्नि पेमाराम
13. भोमाराम पुत्र बूलाराम
14. राऊराम पुत्र बूलाराम
15. रामाराम पुत्र बूलाराम
16. जोगाराम पुत्र पुरखाराम
17. चिमाराम पुत्र भेराराम
18. नथाराम पुत्र भेराराम
19. मेगाराम पुत्र पेमाराम
20. देवाराम पुत्र पेमाराम
21. जोगाराम पुत्र पेमाराम
22. रम्भा पत्नि पेमाराम
   जातियान–जाट, निवासीयान–लूनाड़ा,
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण:

1. मूलाराम पुत्र विरधाराम
2. धूड़ाराम पुत्र खेमाराम
3. रावताराम पुत्र गोमाराम
4. भूराराम पुत्र गोमाराम
   जातियान–जाट, निवासीयान–लूनाड़ा,
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
5. श्रीमान तहसीलदार बायतु
6. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
   RMGB शाखा बाटाड़ू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– **दिनांक 25/02/2020**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज रामलाल की खातेदारी का खेत मौजा बाटाड़ू, पटवार मण्डल बाटाड़ू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1257 रकबा 96.00 बीघा, खसरा नम्बर 1084 रकबा 126.08 बीघा, खसरा नम्बर 1089 रकबा 132.09 बीघा, खसरा नम्बर 1221 रकबा 130.00 बीघा, खसरा नम्बर 1255 रकबा 00.13 बीघा, खसरा नम्बर 1256 रकबा 00.18 बीघा आये हुऐ थे, उक्त समस्त खसरों की भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वज रामलाल का कब्जा काश्त था, सेटलमेन्ट से पूर्व ही रामलाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी में मुतवफी रामलाल के पांचों [illegible] मगा, पूनमा, भैरा व नारणा के बराबर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में बनती थी लेकिन वक्त [illegible] रामलाल के दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:18:11 IST
Reason: SelfAttested

25.2.2020

रणा व गोमा का भी स्वर्गवास हो चुका था। इसलिए वक्त सेटलमेन्ट सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी गा, भैरा व पूनमा पिसरान रामलाल का 2/5 हिस्सा व विरधा पुत्र नारणा का 2/5 हिस्सा तथा मा, रावता, भुरा पिसरान गोमा का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। बाद में बाटाडू से नये राजस्व ग्रामों का सर्जन हो जाने के कारण वर्तमान में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अलग अलग गांवों में बीघा के स्थान पर हैक्टेयर में दर्ज हो गई। जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
1.	लुनाड़ा	1084	20.4515
2.	लुनाड़ा	1089	21.4304
3.	साईयों का तला	1255	00.1052
4.	साईयों का तला	1256	00.1456
5.	साईयों का तला	1257	15.5328
6.	रामदान का तला	1221	21.0340

वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के पूर्वजों का बराबर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में बनता था लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के पिताजी विरधा पुत्र नारणा जो कर्ता खानदान था जिसने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ रहकर जमीन को नपवाया था, ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को माफी खानदानी सजरा के अंकित नहीं करवाकर रामलाल के तीनो पुत्रों मगा, भैरा व पूनमा पिसरान रामलाल का 2/5 हिस्सा व विरधा पुत्र नारणा का 2/5 हिस्सा तथा खेमा, रावता, भुरा पिसरान गोमा का 1/5 हिस्सा गलत तरीके से दर्ज करवा दिया। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 अपने अपने 1/5–1/5 हिस्से की भूमि पर काबीज है तथा काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में हिस्से गलत दर्ज हो गये थे। जिसको सही करवाने के हेतु अधिकारों की घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ने उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 स्वर्गीय रामलाल के वैध उतराधिकारी है। तथा वादग्रस्त आराजी में मुतवफी रामलाल के पांचों पुत्र गोमा, मगा, पूनमा, भैरा व नारणा के बराबर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में बनता था लेकिन वक्त सेटलमेन्ट रामलाल के दो पुत्रों नारणा व गोमा का भी स्वर्गवास हो चुका था। इसलिए वक्त सेटलमेन्ट सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में मगा, भैरा व पूनमा पिसरान रामलाल का 2/5 हिस्सा व विरधा पुत्र नारणा का 2/5 हिस्सा तथा खेमा, रावता, भुरा पिसरान गोमा का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया था। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने व वादीगण के हिस्से को सही करने पर अपनी सहमति पेश की व वादीगण का हिस्सा सही करते हुए माफिक खानदानी सजरा खातेदारी में घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। हम वादी के वाद के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं।

पत्रावली में कोई विवाद का बिन्दु न होने के कारण तनकियात कायम न कर प्रतिवादी संख्या 02 से 04 से किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाहने पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त तथा [illegible] संख्या 06 बैंक की ओर से भूमि रहन मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी [illegible] पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गई। वादी ने [illegible] में PW–1 मोतीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested

25.2.2020

ाराम, PW–2 खेमाराम पुत्र देदाराम जाट, PW–3 खेमाराम पुत्र रामूराम सुथार तथा प्रतिवादी ...य के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर व DW–1 मूलाराम पुत्र विरधाराम का शपथ पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया व वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र वादी स्वयं PW–1 मोतीराम पुत्र मगाराम, PW–2 खेमाराम पुत्र देदाराम जाट, PW–3 खेमाराम पुत्र रामूराम सुथार तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं द्वारा उपस्थित होकर DW–1 मूलाराम पुत्र विरधाराम के शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया गया जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं व उनके द्वारा प्रस्तुत गवाहान के न्यायालय में पेश किये गये शपथ–पत्रों के बयानो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में माफिक खानदानी सजरे के अनुसार वादीगण संख्या 01 से 05 का 1/5 हिस्सा, वादीगण संख्या 06 से 15 का 1/5 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 16 से 22 तक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 1/5 हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा लुनाड़ा खेत खसरा नम्बर 1084, 1089 रकबा क्रमशः 20.4515, 21.4304 हैक्टेयर, मौजा सांईयो का तला के खेत खसरा नम्बर 1255, 1256 व 1257 रकबा क्रमशः 00.1052, 00. 1456 व 15.5328 हैक्टेयर व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1221 रकबा 21.0340 हैक्टेयर में माफिक खानदानी सजरे के अनुसार वादीगण संख्या 01 से 05 का 1/5 हिस्सा, वादीगण संख्या 06 से 15 का 1/5 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 16 से 22 तक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा खातेदारी में होना घोषित किया जाता है तथा स्थाई व्यादेश वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप व बाधा कारित न करे तदनुसार तहसीलदार बायतु को यह आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय व डिक्री वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का अमल दरामद करे। माफिक निर्णय के डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तत्पश्चात पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

विवेकव्यास
25.2.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. वालाराम पुत्र मगाराम वगैरा
जातियान–जाट, निवासीयान–लूनाड़ा,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
जिला–बाड़मेर

1. मूलाराम पुत्र विरधाराम वगैरा
जातियान–जाट,
निवासीयान–लूनाड़ा, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–15/2020. **निर्णय दिनांक :–25.02.2020**

वादीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.02.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लुनाड़ा पटवार मण्डल लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 1084, 1089 रकबा क्रमशः 20.4515, 21.4304 हैक्टेयर, सांईयो का तला पटवार मण्डल लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1255, 1256 व 1257 रकबा क्रमशः 00.1052, 00.1456 व 15.5328 हैक्टेयर व रामदान का तला पटवार मण्डल लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1221 रकबा 21.0340 हैक्टेयर में माफिक खानदानी सजरे के अनुसार वादीगण संख्या 01 से 05 का 1/5 हिस्सा, वादीगण संख्या 06 से 15 का 1/5 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 16 से 22 तक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा खातेदारी में होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

25.2.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. वालाराम पुत्र मगाराम
2. रावताराम पुत्र मगाराम
3. मोतीराम पुत्र मगाराम
4. देवु पुत्र मगाराम
5. मानाराम पुत्र मगाराम
6. राजूराम पुत्र पूनमाराम
7. कुम्भाराम पुत्र पूनमाराम
8. शेराराम पुत्र पूनमाराम
9. हीराराम पुत्र पूनमाराम
10. मानाराम पुत्र पेमाराम
11. देवाराम पुत्र पेमाराम
12. चून्नी पत्नि पेमाराम
13. भोमाराम पुत्र बूलाराम
14. राऊराम पुत्र बूलाराम
15. रामाराम पुत्र बूलाराम
16. जोगाराम पुत्र पुरखाराम
17. चिमाराम पुत्र भेराराम
18. नथाराम पुत्र भेराराम
19. मेगाराम पुत्र पेमाराम
20. देवाराम पुत्र पेमाराम
21. जोगाराम पुत्र पेमाराम
22. रम्भा पत्नि पेमाराम
    जातियान–जाट,
    निवासीयान–लूनाड़ा,
    तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. मूलाराम पुत्र विरधाराम
2. धूड़ाराम पुत्र खेमाराम
3. रावताराम पुत्र गोमाराम
4. भूराराम पुत्र गोमाराम
   जातियान–जाट,निवासीयान–लूनाड़ा,
   तहसील–बायतु,जिला–बाड़मेर
5. श्रीमान तहसीलदार बायतु
6. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
   RMGB शाखा बाटाडू

विवेक व्यास
25.2.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:08:11 IST
Reason: SelfAttested